छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/12/2007–आई.आर. दिनांक 31 जुलाई 2007 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(व्ही.के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

27/9/08

पृ0 क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रतिलिपि :–

(1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 1/12/2007–आई.आर. दिनांक 31 जुलाई 2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(2) सचिव, छ0ग0 सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

27/9/08

C-1\E:\Kushwaha\Kushwaha Letters\72

संख्या-1/12/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 31 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों की सूची तैयार करना।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

(i) भारत सरकार के स्तर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में मान्यता दी गई है। इस नोडल विभाग के पास उन सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की पूरी सूची होनी चाहिए जो लोक प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग के पास भी उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी लोक प्राधिकरणों की सुविस्तृत सूची होनी चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत आने वाले लोक प्राधिकरणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है : (i) संवैधानिक निकाय (ii) लाइन एजेन्सियां (iii) सांविधिक निकाय (iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (v) कार्यकारी आदेश के अंतर्गत सृजित निकाय (vi) सरकार के स्वामित्व वाले, सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा भरपूर वित्तपोषित निकाय, और (vii) सरकार द्वारा भरपूर वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन । प्रत्येक श्रेणी के अंदर सभी लोक प्राधिकरणों की अद्यतन सूची रखी जानी है।

(iii) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के पास उसके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकरणों का ब्यौरा होना चाहिए। यह अंतिम स्तर तक जारी रहनी चाहिए। ये सभी ब्यौरे संबंधित लोक प्राधिकरणों की वेबसाइटों पर पदसोपान रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(iv) राज्यों द्वारा भी एक ऐसी ही प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

2. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया है और इन्हें स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सूची आर.टी.आई. पोर्टल (www.rti.gov.in) पर पहले ही डाली जा

2. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया है और इन्हें स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सूची आर.टी.आई. पोर्टल (www.rti.gov.in) पर पहले ही डाली जा चुकी है। सभी मंत्रालयों/विभागों से उनके अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों की एक सुविस्तृत सूची तैयार करने का अनुरोध किया जाता है। इन प्राधिकरणों को संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संवैधानिक निकायों, सांविधिक निकायों इत्यादि में उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाए। मंत्रालय/विभाग ऐसे गैर सरकारी संगठनों की भी सूची तैयार करें जिन्हें उनसे अनुदान प्राप्त होता है और जो 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा के भीतर आते हैं। इस प्रकार तैयार की गई लोक प्राधिकरणों की सूचियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा आर.टी.आई. पोर्टल पर अपलोड की जाएं और अद्यतन रखी जाएं।

3. यह भी अनुरोध किया जाता है कि मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त पैरा 1 के खंड (iii) में निहित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कार्रवाई करने हेतु उनके अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों को अनुदेश जारी करें।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग//लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग।
3. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

प्रति : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव – यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोल्लिखित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।